सारंगढ़ मॉल का निर्माण अवैध, नपा से अनुमति नहीं

सारंगढ़ (आरएनएस)। सारंगढ़ में प्रतापगंज में आर्दश पेट्रोल पंप के बगल में सारंगढ़ मॉल के नाम से निमार्ण कार्य बदस्तूर जारी है। इस मामले में नगर पालिका से इस व्यावसायिक परिसर के निमार्ण की अनुमित लिये जाने की जानकारी मांगने पर नगर पालिका के सीएमओ ने बताया कि इस व्यावसायिक परिसर के लिये कोई अनुमति नही लिया गया है। वही काम बंद करने के नोटिस के बाद भी धड़ल्ले से काम चल रहा है।

इस संबंध मे मिली जानकारी के अनुसार सारंगढ़ के नगर पालिका सीमा के अर्न्तगत आने वाला वार्ड क्रमांक 10 के आर्दश पेट्रोल पंप के पास सारंगढ़ मॉल के नाम से व्यावसायिक परिसर का निमार्ण किया जा रहा है। इस निमार्णाधीन व्यावसायिक परिसर के निमार्ण के पूर्व इसका ले-आऊट को नगर पालिका से स्वीकृत नही कराया गया है साथ ही नगर पालिका सारंगढ़ से कोई अनुमति नही लिया गया है। इस संबंध में नगर पालिका के सीएमओ संजय सिंह ने बताया कि उक्त व्यावसायिक परिसर के निमार्ण को रोकने के लिये नगर पालिका के द्वारा नोटिस प्रदान कर कार्य बंद करने का आदेश दिया गया है किन्तु नेतागिरी का दंभ करने वाले सफेदपोश चेहरो के द्वारा कराया जा रहा इस निमार्ण कार्य को व्यावसायिक परिसर के स्वामी ने बंद करने से मना कर दिया। वही इस व्यावसायिक परिसर के स्थान पर कोई गरीब का 1 फीट का भी अवैध निमार्ण होता तो नगर पालिका सरकार उसे तोड़ने के लिये जेसीबी लेकर पहुंच जाती किन्तु बड़े चेहरे और करोड़पति भू-स्वामी को धौंस दिखाने वालो के खिलाफ नगर पालिका की रहस्यमय चुप्पी कई सवालो को जन्म दे रही है। इस व्यावसायिक परिसर के निमार्ण में सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि इस व्यावसायिक परिसर को विक्रय के लिये बकायदा बड़ा सा पोस्टर लगाकर प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। और दुकानो की बेचने के लिये बुकिंग किया जा रहा है किन्तु नगर पालिका से अनुमित और ले-आऊट स्वीकृति नही लिया गया है। पूरे मामले को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सहित कलेक्टर रायगढ़ को शिकायत करने की तैयारी कुछ संगठन के द्वारा किया जा रहा है।

सारंगढ़ मॉल मे बन रहा है कुल 34 दुकाने

इस व्यावसायिक परिसर के निमार्ण का कार्य जिस तेजी से चल रहा है उससे आशंका हो रही थी कि इस निमार्ण के भू-स्वामियो निमार्ण के लिये इतनी तत्परता क्यो दिखा रहे है? और जब नगर पालिका सारंगढ़ में इस व्यावसायिक परिसर के निमार्ण से अनुमित संबंधी जानकारी मांगी गई तो हैरान कर देने वाली जानकारी सामने निकलकर आई। वही इस व्यावसायिक परिसर के निमार्ण स्थल के बगल में जो पोस्टर लगाया गया है उसके अनुसार दो मंजिला बन रहे इस व्यावसायिक परिसर में भू-तल में 17 दुकानो का निमार्ण किया जा रहा है जबकि प्रथम तल मे भी 17 दुकानो का निमार्ण किया जायेगा। इस तरह से कुल 34 दुकानो का निमार्ण इस व्यावसायिक परिसर सारंगढ़ मॉल में किया जा रहा है। वही इस व्यावसायिक परिसर की कुल लागत लगभग 3 करोड़ रूपये की है।

सारंगढ़ मॉल का अभी तक व्यावसायिक डायर्वसन ही नही?

सारंगढ़ मॉल के नाम से बन रहे व्यावसायिक परिसर का व्यावसायिक डायवर्सन हुआ है? या नही? इस सवाल के जवाब पर पालिका के अधिकारी कुछ भी जवाब नही दे पाये। उन्होने बस इतना बताया कि इस व्यावसायिक परिसर का निमार्ण के लिये आवेदन नगर पालिका को दिया गया है किन्तु भूमि डायवर्सन का प्रपत्र लगाया ही नही गया है। आधा-अधूरा आवेदन दिये जाने के कारण से आवेदन में संपूर्ण प्रपत्र संलग्न करने का निर्देश दिया गया है। जिससे साफ हो जा रहा है कि इस व्यावसायिक परिसर का व्यावसायिक डायर्वसन नही हुआ है। बिना व्यावसायिक डायवर्सन के बन रहे इस व्यावसायिक परिसर को लेकर भू-स्वामियो के द्वारा मनमानी और दबंगई का प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकारी तंत्र हाथ पर हाथ धरे बैठी है।

काम बंद करने दिया गया आदेश को नही मान रहे है भू-स्वामीः सीएमओ संजय सिंह

इस पूरे मामले में नगर पालिका के सीएमओ संजय सिंह ने बताया कि नगर पालिका सारंगढ़ के द्वारा इस व्यावसायिक परिसर सारंगढ़ मॉल को कोई अनुमति प्रदान नही किया गया है। इस निमार्ण को रोकने के लिये उनके द्वारा भू-स्वामियो को नोटिस जारी किया गया है किन्तु उनके द्वारा मनमानी करते हुए काम बंद नही किया गया है। जल्द ही अवैध निमार्ण पर कार्यवाही किया जायेगा तथा निमार्ण कार्य को ढ़हाया भी जा सकता है।

इंडक्शन कोर्स के लिए सिंगापुर जाएंगे ये पांच आईएसपी अफसर

न्याय साक्षी/रायगढ़। प्रदेश सरकार के गृह-मंत्रालय से जारी आदेशानुसार छत्तीसगढ़ पुलिस के पाँच अफसर इस माह के अंत में इन्डक्शन कोर्स के लिए सिंगापुर जायेंगे। विदेश में ट्रेनिंग करने से पहले सभी अधिकारी हैदराबाद स्थित पुलिस अकादमी में करीब एक माह तक अध्ययन और सुरक्षा के मसले पर विशेष कार्यशाला में भी भाग लेंगे। ये सभी अधिकारी लगभग 45 दिन की ट्रेनिंग के पश्चात छत्तीसगढ़ में वापसी होगी। ये पाँचों अधिकारी संभवत~ 26 अगस्त को प्रशिक्षण के लिए रायपुर से हैदराबाद रवाना होंगे।

बताया जाता है कि, केन्द्र सरकार से अनुमति मिलने के बाद राज्य सरकार ने 1997-98 बैच के पाँच आईपीएस अफसर नौवीं बटालियन दंतेवाड़ा के सेनानी शशिमोहन सिंह, एसटीएफ बघेरा के कमांडेन्ट राजेश कुकरेजा, सातवीं वाहिनी भिलाई के सेनानी विजय अग्रवाल,चौथी वाहिनी माना रायपुर के कमाण्डेन्ट रामकृष्ण साहू व रायगढ़ के पुलिस अधीक्षक राजेश अग्रवाल प्रशिक्षण के लिए सिंगापुर जायेंगे।

शशिमोहन सिंह और राजेश कुकरेजा राज्य पुलिस सेवा के 1997 बैच के अफसर है जबकि, राजेश अग्रवाल विजय अग्रवाल और रामकृष्ण साहू 1998 बैच के राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी है। इस सभी पाँचों अधिकारियों को आईपीएस अवार्ड होने के बाद सरकार द्वारा प्रशिक्षण के लिए भेजा जा रहा है। करीब एक माह से अधिक सिंगापुर में प्रशिक्षण के पश्चात् पाँचों अधिकारी हैदराबाद से सिंगापुर के लिए रवाना होकर लगभग 10 दिन से अधिक सिंगापुर पुलिस के बीच प्रशिक्षण हासिल करने के पश्चात् छत्तीसगढ़ इनकी वापसी होगी। छत्तीसगढ़ पुलिस के ही कांकेर पुलिस अधीक्षक के.एल.ध्रुव व राजनांदगाँव के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप भी इसी प्रकार का प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद 10 अगस्त को हैदराबाद और सिंगापुर से ट्रेनिंग पूरी कर छत्तीसगढ़ लौट रहे हैं।

दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ना, जुर्म दर्ज

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना सरिया अन्तर्गत ग्राम पंचधार में रहने वाली क्षीती प्रधान पति संजय प्रधान द्वारा दिनांक 07.08.19 को थाना सरिया में रिपोर्ट दर्ज करायी कि वर्ष 2015 में विवाह होकर गुडू आयी थी। शादी के 06 माह बाद मेरी सास मेम बाई प्रधान, ननंद शशिकला प्रधान तथा पति संजय प्रधान के द्वारा दहेज मांग कर लगातार प्रताडित कर धक्का मारकर भगा दिये है। समाज के समक्ष भी अपना पक्ष रखी, जहां ससुरालवालों द्वारा वापस नहीं ले जाऊंगे बोले परन्तु अपनी 02 वर्ष की बच्ची के कारण दिनांक 07/04/2019 को अपने ससुराल गई तो सास, ननंद एवं पति के द्वारा धक्के मारकर निकाल दिया गया। पीडिता के आवेदन पत्र पर ससुराल पक्ष के लोगों के विरूद्ध अप.क्र. 109/19 धारा 498,34 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

शटर का ताला तोड़कर दुकान में चोरी

न्याय साक्षी/रायगढ़। सरिया वार्ड क्रमांक 13 निवासी विरेंद्र कुमार सोनी द्वारा आज दिनांक 08.08.19 को थाना सरिया में अपने दुकान में दिनांक 07-08/08/19 की रात्रि अज्ञात चोरों द्वारा गल्ले में रखा नगदी 10000 रूपये चोरी कर ले जाने की रिपोर्ट दर्ज कराया गया है। रिपोर्टकर्ता ने बताया कि गांधी चौक सरिया में विरेंद्र बुक डिपो व फोटो स्टूडियो नाम से दुकान है। कल दिनांक 07/08/19 रात 08/00 बजे दुकान के सटर में ताला लगा कर घर आ गया था आज सुबह 08/00 दुकान आकर देखा तो दुकान के सटर में लगे ताला टुटा हुआ था तथा दुकान के गल्ले में से 10,000 रूपये को कोई चोर चोरी कर ले गया था। चोरी के रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध अप.क्र. 110/19 धारा 457,380 भादंवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया।

सड़क दुर्घटना में एक की मौत, दूसरा मोटर अस्पताल में भर्ती

न्याय साक्षी/रायगढ़। थाना लैलूंगा अन्तर्गत बसंतपुर साजाघाटी में दो मोटर सायकल के बीच एक्सीडेंट होने से एक मोटर सायकल के चालक की घटनास्थल पर फौत होने तथा एक मोटर सायकल के चालक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की रिपोर्ट थाना लैलूंगा में मृतक के पिता अभिलाल पैकरा द्वारा दर्ज कराया गया है। मृतक के पिता अभिलाल पैकरा पिता पुरूषोत्तम पैकरा उम्र0 55 वर्ष सा0 पहाडलुडेग थाना लैलूंगा ने बताया कि इसका लड़का युवराज पैकरा उम्र 27 साल सुबह आई स्मार्ट सीजी 14 एम सी 8636 में घर से निकला था, जिसका बसंतपुर साजाघाटी के पास सोल्ड मोटर सायकल एचएफ डिलक्स के साथ एक्सीडेंट हो गया। मोटर सायकल एचएफ डिलक्स के चालक को लैलूंगा अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के संबंध में मोटर सायकल एचएफ डिलक्स के चालक के विरूद्ध अप.क्र. 155/19 धारा 304(ए) आईपीसी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

आवश्यकता है
CAREER SCHOOL
अंग्रेजी माध्यम (English Medium) में कक्षा 8 वीं, 9वीं एवं 10वीं के लिए
गणित एवं अंग्रेजी विषय हेतु अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों की आवश्यकता है।
वेतन योग्यतानुसार
मिलने का समय- सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक
अभ्यार्थी अपना संपूर्ण बायोडाटा के साथ उपस्थित होवें।
CAREER SCHOOL
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, रायगढ़

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठन सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं॰ 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री [illegible] श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु॰ सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ठाकुर एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जायेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य साथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जायेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जायेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियों की जायेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जायेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, बच्चों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जायेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जायेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जायेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जायेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जायेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career School, Raigarh, C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com
सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU

तत्काल आवश्यकता है
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र हेतु कम्पयूटर ऑपरेटर, सर्वे करने के लिए, बंडल कार्य हेतु, एवं रिपोर्टर/संवाददाता रायगढ़ एवं जशपुर जिले के लिए तत्काल चाहिए ... संपर्क करें...
न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग.
मो. नं. 9039961090

ऑफसेट प्रिंटिंग - न्यूज पेपर प्रिंटिंग
वेस्ट जर्मनी की ऑफसेट मशीन *हेडलबर्ग* से 4 कलर की सभी तरह की प्रिंटिग होती है। प्रिंटिंग जॉब हेतु सम्पर्क करें....
न्यायसाक्षी प्रिंटर्स एण्ड प्रेस
श्रीराम कॉलोनी, स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़ छ.ग. मो. नं. 9589876400

न्यायसाक्षी समाचार- पत्र की खरसिया, सारंगढ़, पुसौर, मनार, घरघोड़ा, धरमजयगढ़, पत्थलगांव लुड़ेग, कांसाबेल, कुनकुरी, जशपुर एवं आसपास के क्षेत्रों में एजेंसी देना है, तत्काल संपर्क करें।
स्टेडियम के पीछे, कैरियर स्कूल के पास, रायगढ़, छ.ग.
संपर्क करें मो.नं. 9039961090

स्वामी, मुद्रक प्रकाशक तथा संपादक सी.बी.वर्मा द्वारा न्यायसाक्षी प्रिंटर्स, प्लॉट नं. 327, वार्ड नं. 24, श्रीराम कॉलोनी स्टेडियम के पीछे रायगढ़ से मुद्रित एवं प्रकाशित फोन 07762-221359 पी.आर.बी. अधिनियम के तहत् खबरों के चयन के लिए जिम्मेदार ई-मेल - nyaysakshi@gmail.com- www.nyaysakshi.com RNI NO :- CHHHIN/2018/76480